न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती संजू शर्मा, आर.ए.एस.

विविध प्रार्थना पत्र सं0 33/2009

उनवान

1. गुरजी गुर्जर पुत्र श्री सायबा गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम जलालपुर तहसील तिजारा जिला अलवर राज0 ।

..... अपीलार्थी

बनाम

1. दुल्ली चन्द पुत्र श्री बदलूराम गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम जलालपुर तहसील तिजारा जिला अलवर ।
2. रामेश्वर पुत्र श्री मुंशीराम गुर्जर निवासी ग्राम जलालपुर तहसील तिजारा जिला अलवर ।
3. तहसीलदार तिजारा जिला अलवर ।

..... प्रत्यर्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री संजीव जैन, अभिभाषक अपीलार्थी ।
2. रेस्पो0 सं0 1 व 2 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये ।
3. श्री विनोद कुमार यादव राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी सं0 3

::: निर्णय :::

दिनांक :–19.05.2017

यह अपील विद्वान अति0 जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर के निर्णय दिनांक 22.5.2009 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

अपीलाट्स द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत आदेश तहसीलदार तिजारा दि0 24.2.2009 जिसके द्वारा रेस्पो0 को आराजी ख0 नं0 1154 रकबा 10 ऐयर ग्राम जलालपुर स्थित 4 वृक्ष शीशम को काटे जाने का आदेश जारी किया गया से व्यथित होकर प्रस्तुत की थी । अपील में अधीनस्थ न्यायालय ने जिस कथित पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर आदेश

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

किया है, वह अपीलांट के खिलाफ बाला–बाला एकतरफा में तैयार कर किया है जो खिलाफ मौका व कब्जा है और इसके आधार पर यह साबित नहीं हो पाता है कि कथित पेड़ शीशम रेस्पो0 की आबादी में हो तथा उसके हिस्से व कब्जे में हो । आराजी ख0 नं0 1154 जिसमें उक्त पेड़ स्थित है, अपीलांट व रेस्पो0 व अन्य सह खातेदारान की आराजी है जिसमें सभी लोगों का हिस्सा है तथा उक्त आराजी का आज तक किसी प्रकार से विभाजन नहीं हुआ है तथा जब तक उक्त आराजी का विभाजन नहीं हो जाता तब तक हर इंच पर समस्त खातेदारान का कब्जा माना जावेगा व किसी व्यक्ति विशेष को कोई अधिकार पैदा नहीं होते हैं । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावें । विद्वान तहत न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को तलब किया गया । विद्वान तहत न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर दि0 22.5.2009 को अपीलांट की अपील स्वीकार कर ली जिस निर्णय दि0 22.5.2009 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया ।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया लेकिन अप्रार्थी सं0 1 व 2 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये ।

विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने प्रार्थना पत्र बहस में जाहिर किया कि अपीलार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ नक्शा मौका व मेजरनामा प्रस्तुत किया गया था जिनका विवेचन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत तरीके से किया गया था । आराजी ख0 नं0 1154 सह खातेदारान की भूमि है लेकिन मौके पर सह खातेदारान द्वारा आराजीयात को आपस में बांटा हुआ है तथा उक्त खसरा नम्बर अपीलार्थी के हिस्से में आया तथा तब से ही अपीलार्थी उक्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है तथा मौके पर अपने व अपने परिवार की रिहायश हेतु मकानात बनाये हुए है तथा मवेशियान के लिये छाया की व्यवस्था करने के लिए काफी समय पूर्व सात पेड़ शीशम के लगाये हुए हैं तथा सह खातेदारान का उक्त आराजी व उसमें लगे हुए शीशम के पेड़ों से कोई संबंध व सरोकार नहीं है । पेड़ों की कीमत बढ़ जाने के कारण प्रत्यर्थीगण के मन में बदयान्ती आ जाने से उनके द्वारा अपीलार्थी को बेजा नुकसान पहुंचाने की नियत से अपील दायर की है । तहसीलदार तिजारा के आदेश दि0 24.2.2009 में स्पष्टतयाः अंकित था कि उक्त आज्ञा दि0 10.3.2009 तक ही प्रभावी थी । तहसीलदार तिजारा द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बाद हल्का पटवारी से विस्तृत मौका व राजस्व रेकार्ड की रिपोर्ट लेने के उपरान्त नोटशीट चलाते हुए विधिपूर्ण व कानून सम्मत तरीके से आज्ञा पारित की है जो सही है । इसलिए तहत न्यायालय ने अपना आक्षेपित निर्णय पारित करते समय अपना ज्यूडिशियल माइंड अप्लाई नहीं किया व अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

प्रतिउत्तर में विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर विधिसम्मत आदेश पारित किया गया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । इसलिए अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया ।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2062 वाके ग्राम जलालपुर अपीलांट, रेस्पो0 नं0 1 व अन्य सह खातेदारान की आराजी है । उक्त भूमि का जब तक विधिक विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी एक व्यक्ति के पक्ष में पेड़ काटे जाने की अनुमति दिया जाना सम्भव नहीं है । पटवारी हल्का की मौका जांच रिपोर्ट में भी यह उल्लेखित किया गया है कि पेड़ों का झुकाव मकान की तरफ है । आधी, झक्कड़ आने पर प्रस्तावित पेड़ों के गिरने की पूर्ण सम्भावना है जिससे जान व धन की हानि हो सकती है । रिपोर्ट में तहसीलदार द्वारा 4 पेड़ों को काटे जाने की अनुमति दी गई है जबकि पेड़ की केवल मात्र खतरनाक टहनिया जो रेस्पो0 सं0 1 के मकान की तरफ झुकी हुई हैं, को भी हटवाया/छटवाया जा सकता था । सह खातेदारान की भूमि में से बिना विभाजन करवाये पेड़ काटे जाने के केवल रेस्पो0 के पक्ष में किये गये तहसीलदार के आदेश को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उचित नहीं माना है । चूंकि जब तक उक्त आराजी का विभाजन नहीं होता तब तक प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सह खातेदार का कब्जा माना जावेगा व किसी व्यक्ति विशेष को कोई अधिकार पैदा नहीं हो सकते हैं । इसलिए मेरी राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह उचित पारित किया है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है और अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज योग्य पायी जाती है ।

अतः प्रत्यर्थीगण कां प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर का निर्णय दि0 22.5.2009 यथावत रखा जाता है । खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 19.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर

Scanned by CamScanner